

प्रकरण संख्या : 03/2019

सायल

गैर सायल

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला बनाम पप्पूराम पुत्र मंगलाराम जाति ओड निवासी
जैसलमेर व्यास कॉलोनी, पोकरण जिला जैसलमेर

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय सायल की ओर से।
2. श्री नवीन पुरोहित, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

इस्तगासा अर्न्तगत धारा- 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1975

:: आदेश ::

दिनांक:-26.11.2019

01. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर ने गैर सायल पप्पूराम के विरुद्ध धारा-3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार-बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षेत्र व जिला क्षेत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना पोकरण व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परी संकटमय है। अपराधी पप्पूराम पुत्र मंगलाराम ओड निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) पप्पूराम पुत्र मंगलाराम ओड निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। अतः इस्तगासा हाजा वरखिलाफ अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) पप्पूराम पुत्र मंगलाराम ओड निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण जिला जैसलमेर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सेवामें प्रेषित है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें पुलिस थाना, जैसलमेर में दर्ज हुए हैं:-

1. दिनांक 28.02.2017 श्री पदमाराम उप-निरीक्षक मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर कस्बा पोकरण मे बस स्टैण्ड पोकरण में मुल्जिम पप्पूराम को जुआ की पर्चीया काटते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 230 रुपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 36 दिनांक 28.02.2017 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 20 दिनांक 31.03.2017 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2017 को मुल्जिम पप्पूराम को 100 रुपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।
2. दिनांक 01.07.2017 श्री अनोपाराम हैड कानिस्टेबल संख्या 96 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर कस्बा पोकरण मे बस स्टैण्ड पोकरण में मुल्जिम पप्पूराम को जुआ की पर्चीया काटते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 140 रुपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 128 दिनांक 01.07.2017 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 71 दिनांक 31.07.2017 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2017 को मुल्जिम पप्पूराम को 200 रुपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

3. दिनांक 20.04.2018 श्री पदमाराम उप-निरीक्षक मय जाब्ता द्वारा मुखवीर की सुचना पर करवा पोकरण मे राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पोकरण में मुल्जिम पप्पूराम को जुआ की पर्चीया काटते हुये को मय जुआ की नगद राशि 100 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 66 दिनांक 20.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 41 दिनांक 27.04.2018 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2018 को मुल्जिम पप्पूराम को 100 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार-बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षेत्र व जिला क्षेत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना पोकरण व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परी संकटमय है। अपराधी पप्पूराम पुत्र मंगलाराम ओड निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण द्वारा उक्त अपराधी पर निगरानी रखी जा रही है तथा थाना के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निगरानी व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) श्री पप्पूराम पुत्र मंगलाराम उम्र 29 वर्ष निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। उपरोक्त हालातों में गैरसायल की गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिये इस्तगासा हाजा बरखिलाफ गैरसायल पप्पूराम ओड अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पेश कर अर्ज है कि गैरसायल को गुण्डा घोषित कर जिला जैसलमेर से निष्कासित किया जावे।

02. गैरसायल उपस्थित हुआ व हाजरी मुचलका प्रस्तुत किया व नोटिस अस्वीकार कर अनवीक्षा चाही व अपना जबाब दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया मामला उक्त धारा का नहीं बनने से नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे एवम् गैरसायल श्री पप्पूराम के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की रिपोर्ट अनुसार अंतिम प्रकरण संख्या 66 दिनांक 20.04.2018 को पुलिस थाना, पोकरण द्वारा की गई थी जिसका न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को निस्तारण हो गया था। वर्तमान में लगभग गत डेढ वर्ष में कोई भी आपराधिक प्रकरण श्री पप्पूराम के विरुद्ध दर्ज नहीं हुआ है तथा आपके द्वारा दिये गये नोटिस में दिनांक 03.09.2019 के हिसाब से श्री पप्पूराम पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही नहीं हो सकती ऐसा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये माफिक निर्णय में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस जारी होने की तारीख से तुरंत छः माह की अवधि में किसी आपराधिक कार्यवाही में संलिप्त नहीं है तो उस पर नोटिस की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है तथा वह गुण्डा की परिभाषा में नहीं आता है यह निर्णय राणाराम बनाम राज० राज्य व अन्य 2002 (4) RLW 2184 राज० में अपनाची गयी है। श्री पप्पूराम पिछले डेढ वर्षों से सभ्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहा है तथा उसके द्वारा न तो किसी के साथ IPC के अध्याय 16 के अधीन नहीं जनता को गुब्बा खाईवाली में पैसो का लालच देकर गैर कानूनी कृत्य किया गया जो कि आपके द्वारा दिये नोटिस के पूर्वोक्त खण्ड क, ख, ग के बारे में सारवान आरोप में से कोई भी अपराध वर्तमान में छः माह की अवधि में नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि नोटिस की कार्यवाही के संबंध में श्री पप्पूराम के विरुद्ध आदेश जारी नहीं कर के इस्तगासा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने से सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज करने का अनुरोध किया ।


03. सहायक लोक अभियोजक ने बहस में बताया कि आरपीजीओ में गैर सायल को तीन बार सजा हो चुकी है। गैरसायल श्री पप्पूराम पुत्र मंगलाराम जाति ओड निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण जिला जैसलमेर दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है अतः उक्त गैरसायल को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गुण्डा घोषित व जिले से निष्कासित करने के पर्याप्त सबूत उपलब्ध होने के कारण उसे जिले से निष्कासित किया जावे।

04. उभय पक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। गैरसायल श्री पप्पूराम ओड को दस्तावेज अनुसार आरपीजीओ एक्ट के तहत तीन बार सजा हो चुकी है। जिसका स्वच्छंद रहना समाज के लिए संकटमय है उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों परिधि में आता है। अतः श्री पप्पूराम पुत्र

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

मंगलाराम जाति ओड निवासी व्यास कॉलोनी, पोकरण जिला जैसलमेर को एक माह की अवधि के लिये निश्कासित किया जाता है। इस अवधि में वह उक्त पुलिस थाना, पोकरण क्षेत्र की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा एवं पुलिस थाना, शेरगढ जिला जोधपुर में अपनी उपस्थिति माह 1 व 16 तारीख को दर्ज कराने हेतु पाबन्द किया जाता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, शेरगढ नियमानुसार उपस्थिति पंजिका तैयार करे। गैरसायल अपनी सकूनत छोडने की सूचना संबंधित थाना को देगा कि कितने दिन तक बाहर रहेगा एवं पुलिस थाना क्षेत्र, शेरगढ में कहां निवास करेगा। उसकी भी सूचना संबंधित थानाधिकारी को देने हेतु बाध्य रहेगा। इस आदेश की पालना, अपील म्याद गुजरने के बाद प्रभावशील होगी। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर, थानाधिकारी, पुलिस थाना, शेरगढ, जिला जोधपुर थानाधिकारी, पुलिस थाना, पोकरण व गैर सायल को दी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओपीओबिशनोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
JISAMMER
जैसलमेर